न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 04/2019 (प्रार्थना पत्र अं.धारा 251(क)

सुभाषचन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–आवेदक

बनाम

1. बीरबल पुत्र नत्थूराम
2. मोहनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासीगण सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. तहसीलदार भू–अभिलेख नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 (क) रा0का0 अधिनियम

वकील आवेदकगण –श्री सुरेश कुमार सीगड

वकील अना0 सं. 1 –

निर्णय

निर्णय दिनांक 13.08.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि आवेदक ख.न. 185 रकंबा 1.62 है0 ग्राम सोटवारा का रिकार्डेड खातेदार काबिकज खातेदार काश्तकार है, तथा अपने खेत में पुख्ता मकान बनाकर रहता है, सिंचाई हेतु चाह जिसमें विद्युत कनेक्शन है जिससे अपने उक्त खेत की सिंचाई करता है, आवेदक कृषक व्यक्ति है, जो आवेदिका का मुख्य आधार है, जिसमें अपनी व अपने बालज बच्चों की आजीविका पढाई आदि का काम चलाता है। जमीन ख.न. 179 रकबा 1.73 है0 ग्राम सोटवारा का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार अनावेदक नं. 1 बीबरल है। जमीन ख.न. 181 रकबा 1.42 है0 का ग्राम सोटवारा का रिकार्डेड काबिकज खातेदार काश्तकार अनावेदक नं. 2 मोहन है जिसमें आवेदक व अनावेदक नं. 1 व 2 तीनों भाई पुख्ता मकान बनाकर रहते हें। आवेदक व अनावेदक नं. 1 व 2 के हक हकूक की जमीन की जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सगे भाई हैं। जमीन ख.न. 185, 181, 179 पैत्रिक जमीन है, जिसमें आवेदक व अनावेदक सं0 1 व 2 कें हक हकूक की जमीन की जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। आवेदक की जमीन ख.न. 185 के कोई कटान का रास्ता या अन्य किसी तहर का रास्ता मौजूद नही है, इसलिये आवेदक को अपनी जमीन मं आने जाने हेतु उसे काश्त करने के लिये कृषि यंत्र, जीप उंट गाडी आदि आने जाने के लिये नाये रास्ते की आवश्यकता है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है।

आवेदक व अनावेदक नं. 1 व 2 तथा इन खेतों के उतरी तरफ कटान का रासता ा.न. 180 ग्राम सोटवारा मौजूद है जिससे आम आदमी आता जाता है जिसमें ग्रेवल सडक बनी हुई है इन सब का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। आवेदक के खेत ख.न. 185 तक नये रास्ते की आवश्यकता है नया रास्ता 10 फुट चौडा की जरूरत है इस रास्ते में नजरी में दिखाये ए से बी के अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदक के खेत में आने जाने का नही है जिसकी आवेदक कीं अबस्यूलेट नेसेसिटी है। नया रास्ता 10 फुट चौडा की जरूरत है इस रास्ते में नजरी नक्शे में दिखाये ए से बी के अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदक के खेत में आने जाने कां नही है जिसकी आवेदक के खेत में आने जाने का नही है जिसकी आवेदक को अबस्यूलेट नेसेसिटी है यह रास्ता ए से बी आवेदक के लिये अपने खेत में आने हेतु नियरिस्ट एण्ड सोरटेस्ट रास्ता है, जो सुविधा के लिये भी नही है, बल्कि आने जाने के लिये आवश्यक है, जिसके बिना आवेदक आनी कृषि भूमि ख.न. 185 को काश्त नही कर सकता है उसकी पैदावार को लाने ले जाने बेचने आदि के लिये कोई रास्ता नही है इसलिये 10 फुट चौडा रास्ता अनावेदक नं. 1 व 2 की जमीन ख. न. 179 च 181 में से प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। असचेउक पे अपसचेउक पंत्र 1 व 2 ने रास्ता देने के लिये निवेदन किया तथा रास्ता प्राप्त करने की कोशीष ककी जिसकी एवज में कृषि भूमि अथवा धन राशि देने की पेशकश की तथा जिसके लिये आवेदक तत्पर है परन्तु अनावेदक नं. 1व 2 ने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

अपने खेत ख.न. 179,181 में से 10 फुट चौडा रास्ता देने के लिये स्पष्ट मना कर दिया इसलिये आवेदक ने रास्ते के लिये सेटलमेन्ट अनावेदक नं. 1 व 2 से करना चाहा परन्तु अनावेदक नं. 1 व 2 के मना करने के लिये यह प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक हो गया। आवेदक के लिये अपने खेत ख.न. 185 में जाने के लिये रास्ता नजरी नक्शे में दिखाये ए से बी के अलावा वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिये धारा 251ए रा.का. अधि. के प्रावधानों के तहत रास्ता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र पेश है कानून के सभी प्रावधानो की पालना करने के लिये आवेदक तत्पर है, संबंधित कृषि भूमि ख.न. 179, 181 185 180 का नक्शा ट्रेस सलग्न है। अनावेदक न. 1 व 2 द्वारा रास्ता देने से इन्कार करने व सैटलमेन्ट से इन्कार करने के कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अनावेदक नं. 1 व 2 के खेत ख.न. 179, 181 ग्राम सोटवारा में से 10 फुट चौडा नया रास्ता नजरी नक्शे ए से बी डोटेड लाईन से दिखाया है। आवेदक को आने जाने अपने खेत को काश्त करने आदि के लिये दिलाया जावे। रास्ता ए स बी राजस्व रिकार्ड में अनावेदक नं. 3 को ओदश देकर दर्ज करवाया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 3 राजपैरोकार द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2019/357 दिनांक 28.05.2019 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि रास्ता जो कि ख.न. 180 से फटकर ख.न. 179 एवं 181 में से होते हुये आवेदक सुभाषचन्द्र पुत्र नथू के खेत ख.न. 185 में जाता है जो कि वर्तमान में 10 से 12 फुट में खुला हुआ है जिससे आवेदक आवागमन कर रहा है। अतः ख.न. 185 में आने जाने केक लिये सर्वाधिक उचित रास्ता होना वर्णित किया गया है।

जबाब प्रार्थना रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ की और से आने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार ग्राम सोटवारा की भूमि ख.न. 185/1.62 है0 की खातेदारी सुभाष चन्द्र पुत्र नथू जाति जाट सा.दे.खा. दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबंदी के ख.न. 179/1.73 है0 की खातेदारी बीरबल पुत्र नथू जाति जाट सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि राहिन राज0 ग्रामीण बैंक मुकुन्दगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है तथा ख.न. 181 रकबा 1.42 है0 की खातेदारी मोहनलाल पुत्र नथूराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन नाज.ग्रा.बैंक मुकुन्दगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि ख.न. 185 में जाने के लिये ख.न. 179 व 181 में से होते हुये आवेदक सुभाषचन्द्र पुत्र नथू के खेत ख.न. 185 में जाता जो कि वर्तमान 10 से 12 फिट मे खुला हुआ है जिससे आवेदक आवागमन कर रहा है। अतः ख.न. 185 में आने जाने के लिये सर्वाधिक उचित रास्ता सलग्न नजरी नक्शा है तथा मौके पर रास्ता खुला होना वर्णित किया गया है। रिपोर्ट में तहसीलदार नवलगढ द्वारा उक्त भूमि का सर्वाधिक उचित होना बताया गया है तथा रास्ते की लम्बाई 124 मीटर होना सलग्न पटवारी रिपोर्ट में वर्णित किया गया है।

आदेश

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सोटवारा की भूमि ख.न. 185 में आने जाने के लिये भूमि भूमि ख.न. 179 व 181 में से 124 फीट लम्बा तथा 12 फिट चौडा (अर्थात दोनो ख.न. में 6–6 फीट चौडा)रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डीलसी दर की दोगुनी राशि अनावेदक नं. 1 व 2 को दिये जाने हेतु तहसील कार्यालय नवलगढ में राजकोष में जमा करावें। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि राशि जमा कर संबंधित खातेदारो को भुगतान किया जावे तथा भुगतान नही लिये जाने पर जमा राशि को जमा राजकोष जमा करवाये जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13-8-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
नवलगढ